

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0)
क्रमांक/3387 / भू0अभि0 / लेखा / 2017 कोरबा दिनांक : 28-11-2017
प्रति,

महाप्रबंधक,
छत्तीसगढ़ संवाद
छोटापारा, महिला थाना के पास
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- ई-घरती योजनान्तर्गत पुराने अभिलेखों का डिजिटাইजेशन करने हेतु
निविदा प्रकाशित करने बाबत।

—000—

कोरबा जिले के सभी पाँच तहसीलों के माडर्न रिकार्ड रूम में अग्नि सूचक एवं अग्निरोधक यंत्र की व्यवस्था तथा बायोमेट्रिक डोर की व्यवस्था किये जाने हेतु जारी निविदा ज्ञापन क्रमांक/3221/दिनांक 09.11.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए संशोधित निविदा आमंत्रित किया जाना है। संशोधित निविदा सूचना के प्रारूप, संशोधित निविदा के नियम एवं शर्तें एवं प्रपत्र-ब कोरबा के वेबसाइट korba.gov.in में उपलब्ध है।

अतः संलग्न प्रेस विज्ञप्ति को 3 स्थानीय तथा 3 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में 03 दिवस के भीतर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।
संलग्न-प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप

पृ0क्रमांक/ 3388 / भू0अभि0 / लेखा / 2017
प्रतिलिपि-

कलेक्टर
कोरबा (छ0ग0)
कोरबा दिनांक : 28-11-2017

1. उप संचालक, जन संपर्क जिला कोरबा की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
2. जिला विज्ञान एवं सूचना केन्द्र कोरबा की ओर जिला कोरबा के वेबसाइट में अपलोड करने वावत्।

कलेक्टर
कोरबा (छ0ग0)

प्रेस विज्ञापित

कोरबा जिले के सभी पाँच तहसीलों के माडर्न रिकार्ड रूम में अग्नि सूचक एवं अग्निरोधक यंत्र की व्यवस्था तथा बायोमेट्रिक डोर की व्यवस्था किये जाने हेतु जारी निविदा जापन क्रमांक /3221/दिनांक 09.11.2017 में आशिक संशोधन करते हुए निविदा आमंत्रित किया जाता है। संशोधित निविदा सूचना के प्रारूप, संशोधित निविदा के नियम एवं शर्तें एवं प्रपत्र-ब कोरबा के वेबसाइट korba.gov.in में उपलब्ध है।


कलेक्टर
कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0)
/ संशोधित निविदा सूचना का प्रारूप /

निविदा विज्ञप्ति 3389 दिनांक 28-11-2017

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) कोरबा की ओर से निर्माताओं एवं उनके अधिकृत विक्रेताओं से कोरबा जिले के सभी पाँच तहसीलों के माडर्न रिकार्ड रूम में अग्नि सूचक एवं अग्निरोधक यंत्र की व्यवस्था तथा बायोमेट्रिक डोर की व्यवस्था किये जाने हेतु जारी निविदा ज्ञापन क्रमांक/3221/दिनांक 09.11.2017 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है। निविदा प्रपत्र भू-अभिलेख कार्यालय के लेखा शाखा से आवेदन प्रस्तुत कर रुपये 1000/- का नगद भुगतान कर दिनांक 05.12.2017 समय दोपहर 3:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि- 05.12.2017 समय दोपहर 3:00 बजे तक

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि- 07.12.2017 समय दोपहर 3:00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि- 07.12.2017 समय शाम 4:00 बजे

स्थान-प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख के कक्ष कोरबा

संलग्न-निविदा के नियम व शर्तें



कलेक्टर

कोरबा (छ0ग0)

पृ0क्रमांक/ 3390 / भू0अभि0 / लेखा / 2017
प्रतिलिपि-

कोरबा दिनांक : 28/11/2017

1. महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त निविदा प्रदेश स्तरीय दो समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ कर लेख है, कि उपरोक्तानुसार निविदा के नियम एवं शर्तों का राज्य के वेबसाइट www.ca.gov.in एवं जिले के वेबसाइट korba.gov.in में अपलोड करें।
4. उपसंचालक, जनसंपर्क विभाग कोरबा की ओर सूचनार्थ कर लेख है, कि निविदा सूचना प्रारूप एवं निविदा के नियम व शर्तों को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें।



कलेक्टर

कोरबा (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) कोरबा, जिला-कोरबा (छ0ग0)

// संशोधित निविदा के नियम व शर्तें //

कोरबा जिले के सभी पाँच तहसीलों के माडर्न रिकार्ड रूम में अग्नि सूचक एवं अग्निरोधक यंत्र की व्यवस्था तथा बायोमेट्रिक डोर की व्यवस्था किये जाने हेतु जारी निविदा ज्ञापन क्रमांक/3221/दिनांक 09.11.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न शर्तों के अध्याधीन दिनांक 07.12.2017 को समय 03:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा की नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं :-

नियम व शर्तें :-

- 1- निविदा जमा करने वाले फर्म का जीवित पंजीयन वाणिज्यकर विभाग छत्तीसगढ़ से होना अनिवार्य है।
- 2- निविदा जमा करने वाले फर्म को निविदा के साथ आयकर विवरण पत्रक वर्ष 2016-17 एवं वाणिज्यकर विभाग से वित्तीय वर्ष 2015-16 का निर्धारित प्रारूप में 'कर अदायगी' प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3- निविदा जमा करने वाले फर्म को अग्निसूचक एवं अग्निरोधक यंत्र तथा बायोमेट्रिक डोर लगाने के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। पूर्व में की गई कार्य का आदेश एवं किये गये कार्य अनुभव बाबत दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। (कार्य आदेश/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 4- बायोमेट्रिक डोर के लिये निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि के रूप में रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ0डी0आर0/ टी0डी0आर0 कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) कोरबा के नाम पर देय होगा।
- 5- अग्निसूचक/अग्निरोधक यंत्र के लिये निविदाकर्ता को निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में 10,000/- (दस हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ0डी0आर0/ टी0डी0आर0 कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) कोरबा के नाम पर देय होगा।
- 6- इस कार्य के लिये सभी प्रकार की मशीन एवं कुशल कर्मचारियों इत्यादि सभी व्यवस्था संबंधित फर्म के द्वारा ही किया जाना होगा, इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जावेगी।
- 7- कार्य समय सीमा में पूर्ण करने का दायित्व निविदाकार का होगा, कार्य पूर्ण करने की अधिकतम सीमा 3 माह होगी। समय सीमा में कार्य नही करने पर पेनाल्टी के रूप में प्रतिदिन 100/- की दर से राशि कटौती की जावेगी।
- 8- स्वीकृत न्यूनतम दर के आधार पर कार्य आबंटन का निर्णय कलेक्टर द्वारा लिया जावेगा। निविदाकारों द्वारा नियत समय में अनुबंध अनुरूप कार्य नही किये जाने पर निविदा निरस्त किये जाने का अधिकार कलेक्टर कोरबा को होगा।
- 9- आवश्यकतानुसार प्रस्तुत निविदा दरों के संबंध में निविदाकारों से नेगोशिएशन किया जा सकेगा। नेगोशिएशन का अंतिम अधिकार कलेक्टर कोरबा को होगा।
- 10- जिस फर्म का निविदा दर स्वीकृत किया जाता है, उसे 03 दिवस के भीतर 100/- रुपये के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करने के पश्चात् ही स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित फर्म को कार्य आदेश जारी किया जावेगा।
- 11- कार्य गुणवत्ता अनुरूप नही होने की स्थिति में कुल भुगतान राशि में से नियमानुसार कटौती करने का अधिकार कलेक्टर कोरबा को होगा।

- 12- जिस निविदादाता फर्म का निविदा स्वीकृत नहीं होगा, उनकी अमानत राशि लौटा दी जावेगी और जिसकी निविदा स्वीकृत होगी उनकी अमानत राशि अनुबंधित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् देय होगी।
- 13- स्वीकृत निविदाकार द्वारा यदि किसी कारण से अपनी निविदा वापस ले लिया जाता है, या निविदा के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में अमानत राशि राजसात कर दी जायेगी और फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
- 14- जिस निविदादाता फर्म का निविदा दर स्वीकृत किया जाता है, उसे सूचना मिलने के 7 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) पर पहुंचकर अपना निविदा कार्य करना प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।
- 15- निविदा/कार्यादेश अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर कोरबा में निहित होगा एवं किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर कोरबा का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी न्यायालयीन वाद उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्र कोरबा, जिला कोरबा में होगा।
- 16- निविदा अंतिम तिथि को समय शाम 04:00 बजे या उसके अगले कार्य दिवस को समिति के समक्ष खोले जायेंगे। निविदा खोले जाने के समय पर निविदा जमा कर्ता फर्म या फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
- 17- कार्य पूर्णता पश्चात् संबंधित फर्म द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन/सत्यापन जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कोरबा, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा एवं कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग कोरबा के संयुक्त टीम द्वारा किया जावेगा एवं गुणवत्ता पूर्वक कार्य पाये जाने पर ही नियमानुसार कटौतियों पश्चात् देयक का भुगतान किया जावेगा।
- 18- अग्निसूचक यंत्र, अग्निरोधक यंत्र एवं बायोमेट्रिक डोर को संबंधित स्थल में स्थापित (इंस्टालेशन) कर देना होगा। जिसके लिये पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगी।
- 19- 6 kg. वजन ABC ड्राई पावडर का सिलेण्डर (कागज को जलने से बचाने के लिये) का प्रति सिलेण्डर का दर प्रस्तुत करना होगा।
- 20- 4.5 kg. वजन CO2 गैस का सिलेण्डर (इलेक्ट्रिक शार्ट सर्किट से लगने वाले आग को रोकने के लिये) का प्रति सिलेण्डर का दर प्रस्तुत करना होगा।
- 21- निविदा खुलने के पश्चात् तहसीलों के रिकार्ड रूम का निरीक्षण कर आंकलन अनुसार आवश्यक सिलेण्डरों की संख्या बताई जाएगी।
- 22- निविदाकार संस्था को ISO प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 23- बायोमेट्रिक डोर का दर मॉडल अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
- 24- बायोमेट्रिक डोर हेतु निविदाकर्ता फर्म द्वारा ड्राइंग एवं डिजाइन के साथ निविदा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 25- अग्निरोधक/अग्निसूचक यंत्र के लिये पृथक तकनीकी एवं वित्तीय दर तथा बायोमेट्रिक डोर के लिये पृथक तकनीकी एवं वित्तीय दर प्रस्तुत करना होगा।
- 26- GST पंजीकृत निविदाकार ही निविदा में भाग ले सकेंगे।
- 27- संबंधित फर्म को भुगतान किए जाने वाले राशि में से नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं टी0डी0एस0 की कटौती कर भुगतान किया जावेगा।

- जो निविदा से निर्धारित अवधि के पश्चात व्यक्तिगत अथवा डाक से प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 29- तहसील कोरवा/करतला/धौडी उपरोद्धा के रिहाई रूम में कार्यादेश के तुरंत बाद अग्निसूचक/अग्निरोधक घंटा एवं बायोमेट्रिक डोर लगाना होगा। तहसील पाली व करतला में रिहाई रूम भवन निर्माण पश्चात् स्वीकृत निविदा दर पर ही अग्निसूचक/अग्निरोधक घंटा एवं बायोमेट्रिक डोर इंस्टॉलेशन करके देना होगा।
 - 30- निविदा निर्धारित प्रकल्प पर ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
 - 31- लिफाफा "अ" में अमानत राशि एवं तकनीकी दस्तावेज तथा लिफाफा "ब" दरी से संबंधित होगा।
 - 32- अनुबंधित अवधि के दौरान यह कार्य निविदाकर्ता के द्वारा ही संपन्न किया जायेगा उसे यह कार्य Subject अथवा किसी अन्य को Assign करने का अधिकार नहीं होगा।
 - 33- सामग्री की मात्रा में आवश्यकताानुसार वृद्धि/कमी करने का अधिकार कलेक्टर कोरवा को होगा।

कलेक्टर
कोरवा (मिडगाँव)